राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2020–21/507-727 **दिनांक :** 29.04.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/
जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।

विषयः–वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः–कृषि आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2019–20/3171–3262 दिनांक 04.11.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग एवं राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश कृषि आयुक्तालय द्वारा भिजवाये गये थे (संलग्न)। उक्त डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश वर्ष 2020–21 में भी प्रभावी रहेगें।

वर्ष 2020–21 में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान अलग से भिजवाये जायेंगे। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा योजनाओं में परिवर्तनीय दिशा–निर्देश मान्य होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

29.4.20

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2020–21/507-727 **दिनांक :** 29.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/ विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर/बीकानेर/कोटा खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
24. परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा /बारां/बूंदी समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
25. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...
26. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।

(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2019–20/ 3171–3262 दिनांक :04/11/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/
जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।

विषयः–वर्ष 2019–20 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः–कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 189–389 दिनांक 04.04.2019, 1227–1339 दिनांक 03.06.2019 एवं 1553–1674 दिनांक 26.06.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के कम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अलग से भिजवायें जायेगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2019–20/ 3171–3262 दिनांक :04/11/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर/बीकानेर/कोटा खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
24. परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
25. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...
26. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।

(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि
जल उपयोग प्रकोष्ठ

Scanned by CamScanner

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर
वर्ष 2019–20
डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के दिशा–निर्देश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1:–अनुदान की पात्रता :–

1.1 राज्य के समस्त नहरी क्षेत्र जहॉ सिंचाई बारी स्वीकृत हो तथा जिला सिंचाई परियोजना मे कार्य स्वीकृत हो, कृषक अनुदान के पात्र होगे।

1.2 कृषक जो सिंचित क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते हैं तथा सामान्य या विशिष्ट आवंटी, गैर खातेदार है, अनुदान के पात्र होंगे।

1.3 आवेदन कर्ता कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (आधा हैक्टयर) सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।

1.4 यदि डिग्गी निर्माण कार्यकम के अंतर्गत पूर्व में अनुदान से लाभान्वित कृषक अन्यत्र स्थिति दूसरे चक/गांव में भूमि का स्वामित्व रखता है, जिसके लिए पृथक से सिंचाई बारी स्वीकृत हो, वह कृषक उस चक/गांव में डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान का पात्र होगा।

1.5 कृषकों द्वारा डिग्गी निर्माण के साथ स्प्रिंकलर/ड्रिप/माईक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है। स्थापित सयंत्र पर अनुदान भौतिक सत्यापन उपरान्त माईक्रो इर्रीगेशन योजना के तहत देय होगा। कय संयंत्र के बिल की सत्यापित प्रति डिग्गी की पत्रावली के साथ भी संलग्न की जाये। यदि कृषक के पास स्प्रिंकलर/ड्रिप/माईक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र आवेदित वर्ष से पूर्व में कय किया गया है तथा चालू हालत में हो, मौका निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर उन डिग्गी की पत्रावलियों पर भी अनुदान देय होगा।

2. अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज

2.1 ऑन–लाईन किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ कृषक को एक फोटो, नवीनतम जमाबन्दी की नकल जो कि छः माह से अधिक पुरानी न हो/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

2.2 अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

2.3 कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण :–

3.1 कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर

3.1.1 कृषक नजदीकी नागरीक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा एवं हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।

3.1.2 कियोस्ककर्ता आवेदन पत्र को ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

3.1.3 कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।

3.1.4 संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।

Scanned by CamScanner

3.1.5 इन सेवाओं से संबंधित वस्तु–स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन–लाइन उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।

3.1.6 मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में एक बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

3.1.7 ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें।

3.2 **आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन–लाईन आवेदन किये जाने पर :–**

3.2.1 आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

3.2.2 आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

3.2.3 आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

3.2.4 आवेदन प्रार्थना पत्र आवेदित दिनांक से यदि मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता /लोकल सर्विस प्रोवाइडर/कृषक द्वारा स्वयं 30 दिवस उपरान्त संबंधित कृषि विभाग के कार्यालयों में भिजवाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

4. **विभागीय मापदण्ड एवं प्रकिया विवरण :–**

4.1 डिग्गी निर्माण का कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना मे अनुमोदित कार्यकम के आधार पर लिया जावेगा।

4.2 अनुदान के लिये डिग्गी का न्यूनतम भराव क्षमता 4.00 लाख लीटर की होना आवश्यक है।

4.3 जिला सिंचाई योजना मे निर्धारित लक्ष्यो में 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से पूर्ण कराये जावे।

4.4 महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के कियान्वयन के संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कंमांक प8(5)आ.कृ./ज.उ/नरेगा/ 2014–15/6616–6713 दि. 22.01.2015 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।

4.5 जिले हेतु चयनित "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के तहत आवेदित अधिक से अधिक आवेदनो के आधार पर प्रमुखता से कार्य कराये जावे।

4.6 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को आवंटित लक्ष्यो में मांग/समर्पण, उप निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से भिजवाने पर ही मुख्यालय स्तर से परिर्वतन किया जा सकेगा।

4.7 सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमे कुल लक्ष्यो मे से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेत प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

4.8 आवेदन पत्र के साथ कृषक द्वारा नवीनतम जमाबन्दी की नकल संलग्न करना आवश्यक है। यदि कृषक के पास राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई पास बुक उपलब्ध है तथा उसमें कृषक का नाम कृषक श्रेणी इत्यादि अंकित है तो जमाबन्दी

Scanned by CamScanner

की नकल की अलग से आवश्यकता नहीं है। कृषक पास बुक की सत्यापित प्रति संलग्न कर सकते हैं।

4.9 डिग्गी निर्माण से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर **जियोटेगिंग कर कृषक खेत का नक्शा** मय खसरा संख्या तथा डिग्गी बनाये जाने का लोकेशन आदि भी अंकित करेंगे ।

4.10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में निर्मित डिग्गी की भारत सरकार द्वारा **Bhuvan-PDMC App** पर जियो टैगिंग की जानी है। जियोटेगिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उक्त कार्य हेतु PMKSY Website (pmksy.gov.in) पर जाकर Bhuvan-PDMC App-User Mannual Download कर लेवें एवं User Mannual में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार Bhuvan-PDMC App पर जियो टैगिंग का कार्य शत–प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करावें। वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पुर्व यह सुनिश्चित किया जावें की निर्मित डिग्गी की भारत सरकार द्वारा **Bhuvan-PDMC App** पर जियो टैगिंग की जा चुकी है एवं निर्मित संरचना के फोटोग्राफ **Bhuvan-PDMC App** अपलोड किये जा चुके है। अनुदान हेतु पात्र एवं चयनित कृषक के निर्धारित स्थल पर उपरोक्त App. के माध्यम से Latitude व Longitude नोट किये जाकर जिला स्तर/उप खण्ड कार्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में संधारित किया जावे।

4.11 कृषकों द्वारा डिग्गी का निर्माण अपनी सुविधानुसार क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कराये जाने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि डिग्गी में नहरी पानी सुगमता से भरा जा सके।

4.12 डिग्गी निर्माण का कार्य स्वंय कृषक की देखरेख मे कराया जाता है अतः डिग्गी निर्माण के लिए सीमेन्ट/ग्रिट/ईंट/स्टोन कंकरीट/बजरी/प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करने पर ही अनुदान देय होगा।

प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी से तात्पर्य मिट्टी की खुदाई उपरान्त केवल प्लास्टिक की शीट का बिछाया जाना हैं। प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी में काम में ली जाने वाली प्लास्टिक शीट आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या 250 जी.एस.एम. एम. एल.सी.एल.यू.वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी आई एस गुणवत्ता 500 माइक्रोन या 300 माइक्रोन जिसका बी.आई.एस. नम्बरः BIS 10889:2004, BIS-2508:2016 & BIS- 15351:2015, BIS- 16352:2015 है, (कृषक स्वेच्छा के आधार पर) का उपयोग अनिवार्य हैं।

4.13 कृषक द्वारा आई.एस.आई. प्लास्टिक एल.डी.पी.ई./एच.डी.पी.ई. शीट कय का विकेता से जारी मूल बिल पूर्ण विवरण सहित एवं विकेता को निर्माता से प्राप्त अधिकृत विकेता होने के अधिकार पत्र की छाया प्रति भी बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

4.14 सुरक्षा की दृष्टि से पक्की/प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी के चारों तरफ 2 फीट ऊँची, प्लास्तर की हुई दीवार के ऊपर जाली अथवा कांटेदार तार लगाए जाए या दीवार बनाई जाकर डिग्गी में नीचे उतरने हेतु सीढ़ीया बनाया जाना सुनिश्चित करे। प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी के निर्माण में नीचे उतरने/ऊपर चढ़ने हेतु कृषक की सुविधानुसार प्लास्टिक रस्सी/लकड़ी/लोहे की सीढ़ीया बना सकता है। उपरोक्त सीढ़ीया बनाने पर सुरक्षा से संबंधित समस्त जिम्मेदारी लाभार्थी कृषक की होगी।

4.15 डिग्गी निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते समय एवं भौतिक सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषक द्वारा निर्मित की जा रही/निर्माणाधीन डिग्गी किसी प्रकार के रकबा राज/जोहड़ पायतन/नहरी/खाला /रास्ता इत्यादि क्षेत्र मे किसी भी रूप से न बन रही हो। ऐसे प्रकरण में अनुदान देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

4.16 कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त डिग्गी के रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

4.17 जिला स्तर पर आवेदित कृषकों के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

4.18 डिग्गी निर्माण पूर्ण होने पर कृषक द्वारा डिग्गी की प्लास्तर की हुई दीवार पर 2 X 3 फीट आकार का बोर्ड पर निम्नानुसार विवरण :–

(अ) कृषि विभाग अनुदान सहायता से निर्मित डिग्गी

(ब) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2019–20,

(स) भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकरी का नाम मय दूरभाष सं.

(द) लाभान्वित कृषक श्री ..... पुत्र श्री ..... दूरभाष/मो. न. . .....ग्राम ..... पंचायत समिति ..... जिला .....

(य) स्वीकृत अनुदान राशि ..... रूपये का अंकन कर प्लास्टिक पेन्ट से कराकर प्रदर्शित किया जावे। उक्त विवरण के साथ लाभान्वित कृषक का फोटो भौतिक सत्यापन के समय पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

4.19 डिग्गी का सांकेतिक साईज वर्ष 2018–19 (अनुदान राशि की गणना सिंचाई जल की भराव क्षमता के आधार पर की जावेगी)

पक्की डिग्गी:– सीमेन्ट, ईट/स्टोन कंकरीट, बजरी से निर्मित

क्र. सं.	सांकेतिक आकार (1:1.5 ढ़लान के आधार पर) (लम्बाई/ चौडाई/ गहराई (मीटर में)	भराव क्षमता (लाख लीटर में)	पीएमकेएसवाई बजट मद से अनुदान (राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA)के दिशा–निर्देशों के आधार पर) राशि रू. लाख में			top-up सब्सिडी (राशि रू. लाख में) जल प्रबंध योजना के बजट मद से राज्यांश (25%)	कुल देय अनुदान (राशि रू. लाख में)
			केन्द्रीयांश (60%)	राज्यांश (40%)	योग		
1	16.5 X 16.5X 3 7.5 X 7.5	4.00	0.84	0.56	1.40	0.70	2.10
2	21 X 21X 3 12 X12	8.00	1.20	0.80	2.00	1.00	3.00
3	25 X 25X 3 16 X 16	12.00	1.20	0.80	2.00	1.00	3.00
4	28 X 28X 3 19 X 19	16.00	1.20	0.80	2.00	1.00	3.00
5	30.5 X 30.5X 3 21.5 X 21.5	20.00	1.20	0.80	2.00	1.00	3.00

प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी:–प्लास्टिक शीट आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या 250 जी.एस.एम. एम.एल.सी.एल.यू.वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी आई एस गुणवत्ता 500 माइक्रोन या 300 माइक्रोन जिसका बी.आई.एस. नम्बरः BIS 10889:2004, BIS- 2508:2016 & BIS- 15351:2015, BIS- 16352:2015 है

क्र. सं.	सांकेतिक आकार (1:1.5 ढ़लान के आधार पर) (लम्बाई/ चौडाई/ गहराई (मीटर में)	भराव क्षमता (लाख लीटर में)	पीएमकेएसवाई बजट मद से अनुदान (राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA)के दिशा–निर्देशों के आधार पर) राशि रू. लाख में			top-up सब्सिडी (राशि रू. लाख में) जल प्रबंध योजना के बजट मद से राज्यांश (25%)	कुल देय अनुदान (राशि रू. लाख में)
			केन्द्रीयांश (60%)	राज्यांश (40%)	योग		
1	16.5 X 16.5X 3 7.5 X 7.5	4.00	0.25	0.16	0.40	0.20	0.60
2	21 X 21X 3 12 X12	8.00	0.48	0.32	0.80	0.40	1.20
3	25 X 25X 3 16 X 16	12.00	0.72	0.48	1.20	0.60	1.80
4	28 X 28X 3 19 X 19	16.00	0.96	0.64	1.60	0.80	2.40
5	30.5 X 30.5X 3 21.5 X 21.5	20.00	0.20	0.80	2.00	1.00	3.00

5 आवेदन पत्रों का निस्तारण:–

Scanned by CamScanner

5.1 ऑन लाईन आवेदन से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जावे कि :–

- संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अनुदान हेतु पात्र, डिग्गी निर्माण की पत्रावलियों का पंजीयन कर 15 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा।
- पात्र कृषक का फिल्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सात दिवस मे पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
- कार्यालय द्वारा जारी "प्रशासनिक स्वीकृति" के संबंध मे संबंधित कृषक को क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा हस्तगत कराया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।

5.2 कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के साथ सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी कराया जा सकता है। भौतिक सत्यापन का कार्य सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक व कृषक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

5.3 भौतिक सत्यापन, डिग्गी निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति के आधार पर निम्नाकित तीन चरणों में पूर्ण किया जायेगाः–

- **प्रथम चरणः** निर्धारित आकार की डिग्गी की खुदाई का कार्य पूर्ण करने पर।
- **द्वितीय चरणः** डिग्गी की ड्रेसिंग कर निर्धारित शीट बिछाने पर व दो स्लोप में ईट की लाईनिंग करने पर।
- **तृतीय चरणः** डिग्गी निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित मापदण्डो को पूर्ण करने जैसे दीवार/कांटेदार तार/जाली/सांकल इत्यादि लगाने तथा सूक्ष्म सिंचाई संयत्रों यथा स्प्रिंकलर/ माइको स्प्रिंकलर/ड्रिप आदि स्थापित कर चलाकर दिखाने पर व डिग्गी में कम से कम 2 फिट गहराई पर पानी भरकर दिखाने पर।

5.4 यदि भौतिक सत्यापन के समय डिग्गी निर्माण का कार्य विभागीय मापदण्ड के अनुरुप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को मय मापदण्ड व कारण सहित हस्तगत कराई जावेगी। डिग्गी के भौतिक सत्यापन उपरान्त विभागीय दिशा–निर्देशानुसार पाये जाने पर कृषकों को अनुदान राशि का तीन किस्तो में भुगतान किया जायेगा।

5.5 कृषक द्वारा बैंक ऋण/नकद पर डिग्गी का निर्माण करने पर अनुदान देय होगा।

5.6 बैंक ऋण सहायता से डिग्गी निर्माण करने की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालय पत्रावलियों को संबंधित बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु तथा नकद पत्रावलियॉ संबंधित सहायक कृषि अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायेगें।

5.7 बैंक से ऋण लेकर डिग्गी निर्माण किये जाने की स्थिति में, डिग्गी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक से सहमति पत्र के आधार पर संबंधित बैंक को एवं स्वयं के खर्च पर कार्य पूर्ण करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान उप निदेशक, कृषि (विस्तार)/उप निदेशक कृषि (विस्तार) सिं.क्षे.वि. इंगानप/परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा द्वारा केवल आदाता के खाते में ही देय (A/c payee only) होगा।

Scanned by CamScanner

5.8 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु सिंचित क्षेत्र विकास विभाग क्षेत्राधिकार के कृषक अपना आवदेन पत्र संबंधित जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

5.9 कृषकों से प्राप्त पत्रावलियों का पंजीकरण एव प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का कार्य संबधित जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

5.10 भौतिक सत्यापन उपरान्त पत्रावलियां संबंधित कार्यालय द्वारा उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, बीकानेर को प्रेषित की जाएगी।

5.11 संबंधित खण्ड के परियोजना निदेशक, सीएडी/संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड को योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

5.12 उप निदेशक कृषि (विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास, आई.जी.एन.पी., बीकानेर द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना कराते हुए पत्रावलियां वित्तीय स्वीकृति हेतु संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड बीकानेर को प्रस्तुत की जाएगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा की अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में ही स्वयं कृषक को किया जाएं।

5.13 उप निदेशक कृषि (विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास, आई.जी.एन.पी., बीकानेर द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना कराते हुए पत्रावलियां वित्तीय स्वीकृति हेतु संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड बीकानेर को प्रस्तुत की जाएगी एवं यह सुनिश्चित् किया जायेगा की अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में ही स्वयं कृषक को किया जाएं।

5.14 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/परियोजना निदेशक कृषि(विस्तार)/उप निदेशक कृषि (विस्तार)/सिंचित क्षेत्र विकास, इ.गा.न.प. द्वारा उनके अधीन जिलों में निर्मित डिग्गियों का 2 प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा उप/सहायक निदेशक कृषि/जिला विस्तार अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत, कृषि अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत भौतिक सत्यापन रेण्डम आधार पर तथा सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत–प्रतिशत निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जावेगा।

5.15 उप निदेशक कृषि (विस्तार) प्रत्येक मॉह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यो की समय–2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेगे।

5.16 प्रत्येक प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की प्रति सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् एवं खण्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5.17 कृषि आयुक्तालय से उप जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2018–19 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुऐ ही वर्ष 2019–20 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।

5.18 वर्ष 2018–19 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा देनदारियों के लिए किसी भी स्थिति में कृषि आयुक्तालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उप जिलेवार निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों/बजट का आवंटन नहीं किया जायेगा।

5.19 वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप जिलें को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को केवल बजट अभाव के कारण शेष रही पत्रावलियाँ ही वित्तीय वर्ष की लम्बित देनदारी में मानी जायेगी।

Scanned by CamScanner

5.20 योजना के प्रावधान अनुसार उप जिलें को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। किसी भी स्थति में संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

5.21 प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि कृषक द्वारा 2 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो कृषक को नोटिस जारी करते हुऐ उक्त जारी प्रशासनिक स्वीकृति को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे तथा वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे।

5.22 वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर यदि कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी तिथी के 4 माह या 31 मार्च तक कृषक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

6. **अनुदान सीमाः–** जल के समुचित उपयोग एवं सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में कृषको द्वारा डिग्गी निर्माण पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के दिशा निर्देशों के अनुसार पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 350/– प्रति घनमीटर **भराव क्षमता** तथा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 100/– प्रति घनमीटर **भराव क्षमता** अथवा अधिकतम रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान देय होगा। उक्त भुगतान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बजट मद से किया जावेगा। इसके अतिरिक्त लागत का 25 प्रतिशत अतिरिक्त Top-up अनुदान राज्य मद से देय होगा। उक्त Top-up अनुदान का भुगतान जल प्रबंधन योजना के बजट मदों से किया जावेगा। अर्थात् पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने कुल अनुदान लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 3.00 लाख, जो भी कम हो, देय होगा।

7. **अनुदान प्रक्रियाः–**

7.1 डिग्गी निर्माण के तीनो चरणों के पूर्ण होने के उपरान्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वित्तिय स्वीकृति जारी करते हुए काउन्टर हस्ताक्षर हेतु संबंधित जिला कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद एवं खण्ड कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि/परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रस्तुत की जाकर कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में, कृषक द्वारा प्रस्तुत अपने बैंक बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति के आधार पर देय (A/c payee only) होगा।

7.2 कृषक द्वारा पक्की डिग्गी निर्माण करवाये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान निर्धारित तीन किश्तों में किया जायेगा।

7.3 कृषक द्वारा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी निर्माण करवाये जाने पर अनुदान भुगतान डिग्गी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक साथ एक ही किश्त में किया जायेगा।

7.4 कृषक स्वेच्छा से डिग्गी अनुदान राशि का भुगतान एक किश्त में चाहता है तो स्वयं कृषक की सहमति प्राप्त कर डिग्गी अनुदान राशि का भुगतान एक ही किश्त में किया जा सकता हैं।

7.5 कृषक द्वारा पक्की डिग्गी निर्माण के प्रत्येक चरण पूर्ण होने की सूचना स्वयं कृषक द्वारा मय बिल के संबधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने पर ही अनुदान राशि को

Scanned by CamScanner

तीन किश्तों में दिया जायेगा अन्यथा कृषक को डिग्गी अनुदान राशि का भुगतान डिग्गी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक साथ एक ही किश्त में किया जायेगा।

7.6 डिग्गी निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन के पश्चात डिग्गी निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति के आधार पर अनुदान राशि को निम्नाकिंत चरणानुसार तीन किश्तों में दिया जाना है:–

क्र. सं.	चरण	डिग्गी निर्माण की भौतिक स्थिति	कृषक को देय कुल अनदुान राशि का प्रतिशत	अनदुान भुगतान की कार्यवाही हेतु निर्धारित समय अवधि
1	प्रथम चरण	निधारित आकार की डिग्गी की खुदाई का कार्य पूर्ण करने पर।	अनुदान राशि का 20 प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ करने के 10 दिवस में
2	द्वितीय चरण	डिग्गी की ड्रेसिंग कर निर्धारित शीट बिछाने पर व दो स्लोप में ईट की लाईनिंग करने पर।	अनुदान राशि का 30 प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ करने के 25 दिवस में
3	तृतीय चरण	डिग्गी निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित मापदण्डो को पूर्ण करने जैसे दीवार/कांटेदार तार/जाली/सांकल इत्यादि लगाने तथा सूक्ष्म सिंचाई संयत्रों यथा स्प्रिंकलर/ माइक्रो स्प्रिंकलर/ड्रिप आदि स्थापित कर चलाकर दिखाने पर व डिग्गी में कम से कम 2 फिट गहराई पर पानी भरकर दिखाने पर।	शेष अनुदान राशि का 50 प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ करने के 40 दिवस में

"डिग्गी निर्माण उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि निदेशालय की ए.सी.पी. शाखा को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूची विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।"

Scanned by CamScanner

ऑन लाईन डिग्गी निर्माण कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष 2019–20

कृषक का फोटो

सेवा में,

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

जिला .....

महोदय,

मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अपने खेत में डिग्गी निर्माण करवाना चाहता हूँ। कृपया मुझे नियमानुसार डिग्गी हेतु अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रार्थी का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. कृषक का नाम ..... पिता का नाम .....
2. जाति .....
3. मोबाइल नम्बर.....
4. पता..... ग्रांम पंचायत .....
5. पंचायत समिति.....तहसील .....
6. आधार कार्ड संख्या (अनिवार्य).....
7. सहायक कृषि अधिकारी.....
8. कृषि पर्यवेक्षक .....
9. कृषक जमीन विवरण (हैक्टर में).....
   (a) सिचांई (हैक्टर में).....(b) असिंचित (हैक्टर में).....
   कुल जमीन (हैक्टर में).....
10. वह स्थान जहां कृषक डिग्गी बनवाना चाहता है.....
    मुरब्बा नम्बर..... किला नम्बर.....
11. डिग्गी का आकार (फिट में)
    ऊपर की लम्बाई..... ऊपर की चौडाई..... गहराई .....
    निचाई..... निचाई.....पानी की क्षमता (लीटर में).....
    जल ग्रहण क्षमता ..... लाख लीटर होगी।
12. पम्प सेट किया गया हैं..... जो ब्रांड है..... मॉडल .....
13. स्प्रिकंलर सेट/ड्रीप/माइक्रो स्प्रिकंलर मॉडल .....जो ब्रांड है.....मॉडल .....
14. मेरे खेत का नजरिया नक्शा निम्न विवरणानुसार है :–
    उत्तर में श्री ..... पुत्र श्री ..... का खेत है।
    दक्षिण में श्री ..... पुत्र श्री ..... का खेत है।
    पूर्व में श्री ..... पुत्र श्री ..... का खेत है।
    पश्चिम में श्री ..... पुत्र श्री ..... का खेत है।
15. बैंक का नाम .....
16. शाखा का नाम.....
17. आई.एफ.एस.सी कोड.....
18. खाता संख्या.....
19. पूर्व के गत वर्षो में अनुदान प्राप्त नहीं किया है, के आश्य का घोषणा पत्र (संलग्न) ।

Scanned by CamScanner

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषण करता/करती हूँ कि पूर्व मे मेरे द्वारा डिग्गी निर्माण पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरूपयोग नहीं करूंगा/करूगीं। उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसूल करने का तथा वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम

मय पूर्ण पता

कृषक का नाम एवं हस्ताक्षर

दूरभाष सं. .....

Scanned by CamScanner

प्रगति प्रपत्र

वर्ष 2019–20																													
योजना												माह :–																	
		लक्ष्य										बजट आवंटन					प्रगति											
		भौतिक लक्ष्य					वित्तिय लक्ष्य										भौतिक प्रगति					वित्तिय प्रगति						
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	सा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	योग	महिला कृषक सं.
1	उप निदेशक कृषि (वि.)																										
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																										
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																										
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																										
	योग जिला																										

Scanned by CamScanner